रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012023-241726
CG-DL-E-06012023-241726

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 57] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 6, 2023/पौष 16, 1944
No. 57] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 6, 2023/PAUSHA 16, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2023

का.आ. 60(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अजधजनयम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रित्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू जिले में NH 144A के कि.मी. 26.350 (खाती चोक) से कि.मी. 30.097 (हनुमान चोक) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्द्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूचीमें दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हित है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (1) के अधीन पूवोक्तप्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकासन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनीआपति प्रकट कर सकेगा ।

ऐसी प्रत्येक आपती सक्षम प्राधिकारी अर्थात उपायुक्त,जम्मू को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार आधिकठित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारिक, आपतिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विविध पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपतियों की सुनवाई के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोईहो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपतियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय मेंउपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू जिले में NH 144A के कि.मी. 26.350 (खाती चोक) से कि.मी. 30.097 (हनुमान चोक) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त वितरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर	जिले का नाम: जम्मू				
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)**
तालुक का नाम: अखनूर					
गांव का नाम: अंम्बारन					
1	1496	निजी	ऐग्रिकल्चर	0.0569101(हेक्टेयर)	0.0569101
गांव का नाम: दस्गल					
1	495 min	सरकारी	नों-एग्रीकल्चर लैंड/एक्जिस्टिंग रोड(सीमा सड़क संगठन)	0.1264670(हेक्टेयर)	0.1264670
2	496 min	सरकारी	नॉन ऐग्रिकल्चर	0.1214080(हेक्टेयर)	0.1214080
3	85 min	सरकारी	नॉन ऐग्रिकल्चर / एक्सिसतींग रोड सीमा सड़क संगठन	0.0733500(हेक्टेयर)	0.0733500
			कुल	**0.3781**	**0.3781**

[फा. सं. DCJ/LA/JA Road/2021-22/396/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2023

S.O. 60(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/Four-leaning, etc.), maintenance, management and operation of **Land acquisition for upgradation to 4-lane with paved shoulder configuration (NH-144A) from Km 26.350 (Khati Chowk) to Km 30.097 (Hanuman Chowk) of Jammu – Akhnoor section in the union territory of Jammu & Kashmir.** hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the **Prant Officer Sub-Divisional Magistrate, Akhnoor** in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Land acquisition for upgradation to 4-lane with paved shoulder configuration (NH-144A) from Km 26.350 (Khati Chowk) to Km 30.097 (Hanuman Chowk) of Jammu – Akhnoor section in the union territory of Jammu & Kashmir

State: JAMMU & KASHMIR	**District: JAMMU**			
Survey / Plot Number	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectare)**
Taluk: Akhnoor				
Village: Ämbaran				
1496	Private	AGRICULTURAL	0.0569101(Hectare)	0.0569101
Village: Dasgal				
495 min	Government	Non-Agriculture Land/Existing Road(BRO)	0.1264670(Hectare)	0.1264670
496 min	Government	Non-Agriculture	0.1214080(Hectare)	0.1214080
85 min	Government	Non-Agriculture Land/Existing Road (BRO)	0.0733500(Hectare)	0.0733500
		Total	**0.3781**	**0.3781**

[F. No. DCJ/LA/JA Road/2021-22/396/3A]

RAJESH GUPTA, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2023.01.06 22:12:12 +05'30'